ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान

विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

के लिए दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देश
विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम

I. प्रस्तावना

आयोग ने वर्ष 1963 में विभिन्न विश्वविद्यालयों में क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम आरंभ किया था। पिछले चार दशकों में यह अपने सकारात्मक पक्ष एवं सीमाओं के साथ उभर कर सामने आया है। शीत युद्ध के बाद की स्थिति के संदर्भ में जबकि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एजेन्डा निर्धारित कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित कर रहा है, कार्यक्रम को अपने अकादमिक बल, अभिगम तथा संगठनात्मक ढांचों के संदर्भ में पुनः विचारण की आवश्यकता है।

II. उद्देश्य

क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों से समग्रता से एक क्षेत्र के बारे में शिक्षण तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने की आशा की जाती है। क्षेत्रों की सीमाएं मिटती जा रही हैं और नए मुद्दे और राष्ट्रों से इतर परिवर्तनशील घटनाक्रम उनकी चिताओं को नए रूप से ढाल रहा है। आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सांस्कृतिक आदान–प्रदान सुरक्षा प्रबंधन का दौर क्षेत्र से इतर अधिक अंतर्वेशी कारक बनते जा रहे हैं इसके बावजूद क्षेत्र, वैश्विक घटनाक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्र और क्षेत्रों के मध्य तथा समय संकुचन के कारण क्षेत्रों के बीच अंतरा पृष्ठ, समस्याओं के बहुआयाम तथा क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध को दर्शाता है। इसलिए, क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम की अनुसंधान चिंता इस उभरती हुई वास्तविकताओं का समाधान ढूंढना है।

क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

क. क्षेत्र की समग्र समझ जिसमें इसके सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा रणनीतिक विशिष्टता शामिल है, का संवर्धन।

ख. साम्राज्यवाद पश्च समाज के परिदृश्य से क्षेत्र अध्ययन के वैकल्पिक नमूने का संवर्धन करना।

ग. क्षेत्र तथा मुद्दों के भारतीय परिदृश्य में योगदान देना।

घ. नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना विशेषकर भारतीय आर्थिक, रणनीतिक तथा राजनैतिक हित में।

ड. विश्व के क्षेत्रों के ज्ञान को बौद्धिक विषयों का केन्द्र बनाना।

च. अंतर क्षेत्रीय तुलनात्मक परिदृश्य के संवर्धन के लिए अनुसंधान करना।

III. <u>पद्धति</u>

यह एक अंतर्विषय कार्यक्रम है जो अपने भीतर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भाषा और संस्कृति के सभी विषयों को समेटे हुए हैं।

कार्यक्रम का मूल उद्देश्य विशिष्ट देश की बजाय क्षेत्र को अध्ययन की इकाई बनाना है। तथापि, कुछ देशों पर रणनीतिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रकार के प्रस्तावों को परियोजना के रूप में संवर्धित किया जा सकता है। मौजूदा देश विशिष्ट केन्द्रों को क्षेत्र अध्ययन में भी विस्तार देने की आवश्यकता है।

क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम (एसएसीओएएसपी) पर स्थायी परामर्शदात्री समिति तथा क्षेत्र अध्ययन केन्द्र को अधिक सक्रिय संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय एसएसीओएएसपी को नए प्रस्ताव भेजने के लिए स्वतंत्र है, एसएसीओएएसपी कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी करेगा तथा विशेषकर गैर–पारम्परिक सरोकार के उभरते हुए क्षेत्रों में प्रस्ताव आमंत्रित करेगा।

केन्द्र से क्षेत्र तथा संपूर्ण विश्व में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के साथ अकादमिक संपर्क बढ़ाने की आशा की जाती है।

आयोग, क्षेत्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विचारकों आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को बढ़ावा देता है तथा इसका समर्थन करता है। इन समझौता ज्ञापनों पर वि0अ0आ0 एक्सचेंज कार्यक्रम के भाग के रूप में विचार करने के लिए एसएसीओएएसपी को संदर्भित किया जाना होगा।

केन्द्रों से आशा की जाती है कि वे जनता के बीच कार्यशाला, लेक्चर तथा अन्योन्य कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के संबंध में समझ–बूझ तथा सूचना के प्रसार हेतु आऊटरीच गतिविधियां आरंभ करें।

सांस्कृतिक संपर्क कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। केन्द्रों को संगत निकायों तथा संस्थानों के साथ सहयोग से क्षेत्र पर फिल्म दिखाने तथा सांस्कृतिक/साहित्यिक बैठक आयोजित करने की आशा की जाती है।

केन्द्र को उनके निष्कर्षों को वि0अ0आ0–एसएसीओएएसपी तथा अन्य केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है।

कार्यक्रम का व्यवस्थापनः

नए केन्द्रों की स्थापना करना :

नए केन्द्रों के लिए सभी प्रस्तावों पर केवल पांच वर्षों के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में विचार किया जाएगा। नए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय में विशेषता और न्यूनतम अवसंरचना की उपलब्धता मार्गदर्शी कारक होंगे। आवेदकों को अपने प्रकाशनों में शिक्षण और अनुसंधान रुचि को दिखाना होगा। परियोजना के तहत विचार करने के लिए विभाग के साथ कम से कम दो पूर्णकालिक शिक्षक जुड़े होने चाहिए।

परियोजना स्तर पर कार्यक्रम हेतु अवसंरचना एवं अकादमिक विशेषज्ञता दोनों की उपलब्धता साथ ही आज तक किए गए अनुसंधान कार्य (शिक्षण और अनुसंधान) के रूप में कड़े मानदण्डों पर विचार किया जाएगा।

मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्रः

मौजूदा क्षेत्रों को उनके निष्पादन के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाएगा। उन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है :–

- स्तर 1
- स्तर 2
- स्तर 3

	स्तर एक	स्तर दो	स्तर तीन
अवधि	20 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक
शिक्षकों की संख्या (न्यूनतम)	7 दो प्रोफेसर तीन एसोसियेट प्रोफेसर दो सहायक प्रोफेसर	5 दो प्रोफेसर तीन एसोसियेट प्रोफेसर दो सहायक प्रोफेसर	3 से अधिक एक प्रोफेसर एक एसोसियेट प्रोफेसर एक सहायक प्रोफेसर
अंतर–विषय संकाय की प्रकृति	सभी मुख्य विषय अर्थात् राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, संस्कृति, विज्ञान और संरक्षा अध्ययन	सभी मुख्य विषय अर्थात् इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि	मूलभूत विषय अर्थात् इतिहास, राजनीति शास्त्र, आदि
भाषा शिक्षण संकाय			
शिक्षणःकला निष्णांत या एम.फिल	सभी मुख्य विषय	सभी मुख्य विषय	मूलभूत विषय
मुख्य बल दिए जाने वाले क्षेत्रों का			

मूल्यांकन			
अनुसंधान निष्कर्ष एम.फिल और पी. एच.डी. की संख्या	पिछले पांच वर्षों में 10 पी.एच.डी. और 15 एम.फिल.	पिछले पांच वर्षों में 8 पी.एच.डी. और 12 एम.फिल.	पिछले पांच वषों में 3 पी.एच.डी. और 5 एम.फिल.
कार्यक्रमों का प्रकाशन	संगोष्ठियों की कार्यवाहियां, यदा–कदा पत्र, मोनोग्राफ	संगोष्ठियों की कार्यवाहियां, यदा–कदा पत्र, मोनोग्राफ	संगोष्ठियों की कार्यवाहियां यदा–कदा पत्र, मोनोग्राफ
क्षेत्र पर संकाय प्रकाशन	4 पुस्तकें 15 अनुसंधान पत्र	2 पुस्तकें 10 अनुसंधान पत्र	1 पुस्तक और 5 अनुसंधान पत्र
संगोष्ठी/सम्मेलन	पांच वर्षों में तीन राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	पांच वर्षों में दो राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	पांच वर्षों में दो राष्ट्रीय संगोष्ठियां
अन्य क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रमों के साथ संपर्क			
कार्यक्रम को प्रसिद्ध बनाने के लिए आऊटरीच गतिविधियां जैसे कार्यशालाएं आयोजित करना			

एक ही देश/क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय के दो क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं।

क्षेत्र अध्ययन केन्द्र का संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्र अध्ययन केन्द्र या तो स्वायत्त इकाई या दो विभिन्न प्रकार नामतः केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों के रूप में विभाग के एक भाग के रूप में स्थित होते हैं। उनकी अवस्थिति का उनके निष्पादन तथा विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

आदर्श रूप से प्रत्येक क्षेत्र अध्ययन केन्द्र में सात मुख्य संकाय सदस्य होने चाहिएः दो प्रोफेसर, दो रीडर और तीन लेक्चरार। शिक्षक भाषा सहित विभिन्न संकायों से होने चाहिए।

मुख्य संकाय के अतिरिक्त क्षेत्र अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी एक समय पर दो 10,000/– रु0 प्रतिमाह (निश्चित) मानदेय की दर से अतिथि संकाय के लिए आवंटन से दो अनुबद्ध/सहगामी/संकाय/अधिवर्षित शिक्षक हो सकते हैं ताकि कार्यक्रम को विशेष रूप से अंतर्विषयी बनाया जा सके तथा अनुसंधान के नए क्षेत्रों की खोज की जा सके।

केन्द्र के मानव संसाधन आधार को क्षेत्र से एक या दो निवासी स्कालरों के माध्यम से अधिक बृहद बनाया जा सकता है। आईसीएसएसआर, विदेश मंत्रालय या किसी अन्य एजेन्सी से इस प्रकार के स्कालरों को सहायता देने के लिए संपर्क साधा जा सकता है। केन्द्र क्षेत्रों से देशों/देश द्वारा वित्तपोषित 'चेयर' का सृजन करने के बारे में भी विचार कर सकता है।

अवसंरचना

पिछले चार दशकों में क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। आज अनेक क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र उपस्करों के साथ सुसज्जित हैं। कुछ केन्द्रों का आकार इतना व्यापक हो गया है कि उनका मौजूदा स्थान उनके विकास को प्रभावित कर रहा है। मामला–दर–मामला आधार पर भवन अनुदानों पर विचार किया जा सकता है।

निष्पादन, निगरानी तथा उत्तरदायित्व

सतत् निगरानी तथा समयावधि के बीच मूल्यांकन, इन केन्द्रों के निष्पादन के सुग्राहीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपकी अकादमिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को एसएसीओएएसपी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। केन्द्र अपने निष्पादन का मूल्यांकन करवाने के लिए एसएसीओएएसपी के पास आ सकते हैं जिससे वे प्रोत्साहन वित्तपोषण का दावा कर सके। विपरीततः केन्द्र जो अपेक्षित मानदण्ड पर खरे न उतरे उनके अनुदानों को कम किया जा सकता है या उनके दर्जे को वापिस किया जा सकता है।

मध्यावधि मूल्यांकन, की गई संगोष्ठियां, ग्रंथालय हेतु खरीदी गई पुस्तकें या क्षेत्र कार्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए गए तथा पढ़ाए गए नए पाठ्यक्रम, आऊटरीच गतिविधियों के लिए उठाए गए कदम तथा अध्ययन, किए गए क्षेत्र के साथ अकादमिक संपर्क स्थापित करने पर बल दिया जाता है। मूल्यांकन मानदण्ड का मानवीकरण किया जाएगा तथा उसे पारदर्शी बनाया जा सकता है।

IV. पांच वर्षों की अवधि के लिए योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता का स्वरूप।

परियोजना के रूप में :

निम्नलिखित मदों पर अधिकतम सहायता शत–प्रतिशत आधार पर दी जाएगीः–

अनावर्ती

- कार्यालय उपस्कर तथा कार्यालय फर्नीचर 1.50 लाख रु0
- पुस्तकें तथा जर्नल 3.00 लाख रु0

- क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25:) 2.50 लाख रु0
- संगोष्ठी/विचार गोष्ठी /सम्मेलन 3.00 लाख रु0
- प्रकाशन 2.00 लाख रु0
- अतिथि संकाय 2.00 लाख रु0
- कार्यात्मक व्यय 1.00 लाख रु0

कुल **15.00 लाख रू0**

<u>आवर्ती</u>

- ❖ एक शिक्षक पद (रीडर/लेक्चरार/प्रलेखन अधिकारी)
- ❖ दो अनुसंधान एसोसियेट या परियोजना एसोसियेट या परियोजना फेलो (आरए/पीए और पीएफ के वेतन और अन्य निबंधन व शर्ते वहीं रहेगीं जो कि वि0अ0आ0 की बृहद अनुसंधान परियोजना योजनाओं में लागू होती है।)

<u>मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों को निम्नलिखित अनुदान दिया जाएगा :</u>

अधिकतम सहायता निम्नलिखित मदों पर शत–प्रतिशत आधार पर होगी।

<u>अनावर्ती</u>

- भवन (पुर्नरुद्धार/विस्तार)
- कार्यालय उपस्कर और कार्यालय फर्नीचर
- पुस्तकें और जर्नल
- क्षेत्र कार्य (छात्रों के लिए 25 प्रतिशत)
- संगोष्ठी/विचार गोष्ठी/सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/संकाय परियोजना
- अतिथि संकाय

- कार्यात्मक व्यय तथा आकस्मिताएं
- प्रकाशन

(रुपये लाख में)

	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
	10.00	8.00	5.00
	4.00	4.00	3.00
	5.00	3.00	2.00
	15.00	10.00	4.00
	10.00	5.00	4.00
	6.00	4.00	3.00
	5.00	3.00	2.00
	5.00	3.00	2.00
कुल	**60.00**	**40.00**	**25.00**

अनावर्ती अनुदान के अतिरिक्त आवर्ती अनुदान निम्नवत होगा :–

<u>आवर्ती</u>

1. <u>शिक्षक पद</u>

- एक रीडर
- एक लेक्चरार
- एक प्रलेखन अधिकारी

2. दो अनुसंधान एसोसियेट या परियोजना एसोसियेट या परियोजना फेला आरए/पीए तथा पीएफके लिए वेतन या निबंधन व शर्ते वि0अ0आ0 की मुख्य अनुसंधान परियोजना योजना के समकक्ष होगी)

व्यक्ति जिसे केन्द्र का निदेशक/कार्यक्रम समन्वयक के पद धारक के रूप में नियुक्त किया गया, वह मूल पद को धारण किए जाने के परिणामस्वरूप जिन लाभों का हकदार है उनके अलावा किसी अन्य अतिरिक्त वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा।

V. योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

कोई विश्वविद्यालय जो क्षेत्र अध्ययन केन्द्र बनाना चाहता है, वह विहित प्रोफार्मा में वि0अ0आ0 को आवेदन कर सकता है **(अनुलग्नक–I)**। स्थायी परामर्शदात्री समिति या विदेश कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर वि0अ0आ0, विश्वविद्यालय को विश्व के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध कर सकता है।

VI. वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया

क्षेत्र अध्ययन पर स्थायी परामर्शदात्री समिति द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया जाएगा। तत्पश्चात् विशेषज्ञ समिति, लघु सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों का दौरा करेगी। क्षेत्र अध्ययन के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लेने हेतु रखा जाएगा।

VII. वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया

आयोग द्वारा अनुमोदित अनावर्ती अनुदान के 50% को पहली किश्त के रूप में जारी किया जाएगा। उत्तरवर्ती अनुदानों को इन केन्द्रों द्वारा किए गए कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा विहित प्ररूप **(अनुलग्नक–II और III)** में रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित व्यय विवरण तथा उपयोग प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र भेजा सकता है। आवर्ती अनुदान को प्रस्तावित व्यय/वास्तविक व्यय के संगत दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा।

अनावर्ती श्रेणी के तहत एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुर्नविनियोग वि0अ0आ0 के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् अनुमेय है। कार्यक्रम के निदेशक को विशिष्ट शीर्ष के 25% अनुदान को वि0अ0आ0 के पर्याप्त स्पष्टीकरण के तहत पुर्नविनियोजन करने की अनुमति है।

अधिकतम सीमा का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक केन्द्र को यह राशि प्रदान की जाएगी। वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आधारित होगा।

VIII. <u>योजना की प्रगति की निगरानी हेतु प्रक्रिया</u>

केन्द्र निर्धारित फार्मेट में किए गए कार्य की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। **(अनुलग्नक–चार)**। कार्यकाल पूरा होने के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यदि जरूरी हुआ तो मध्यावधि समीक्षा भी करेगा। अनुदान को जारी रखना या उसे बढ़ाना एक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट, वि0अ0आ0 की समीक्षा समिति की रिपोर्ट और आयोग के अंतिम निर्णय पर आधारित होगा।

IX <u>कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु शर्त और संदर्भ</u>

1. एक क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र बहु–विषयी तरीके से कार्य करे और उसका विश्वविद्यालय प्रणाली में एक समुचित संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से व्यापक प्रसार हो ताकि वह विश्वविद्यालय में उपलब्ध सभी विभागों की विशेषज्ञता और सुविधाओं का प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। यह एक स्वतंत्र प्रशासनिक और शैक्षिक इकाई के रूप में काम करे और उसे विश्वविद्यालय में एक विभाग का दर्जा प्राप्त हो।

केन्द्र के पास एक निदेशक हो जो केन्द्र का वरिष्ठ संकाय सदस्य हो तथा उसे संबंधित क्षेत्र अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल हो। निदेशक का कार्यकाल संबंधित विश्वविद्यालय में विभागीय प्रमुख से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए किन्तु वह तीन वर्ष से कम न हो। यदि निदेशक को इस अवधि से पहले बदलना है तो ऐसा वि0अ0आ0 के परामर्श से किया जाना चाहिए।

2. केन्द्र का निदेशक, विश्वविद्यालय के सभी उपयुक्त निकायों और चयन समिति का सदस्य हो जो केन्द्र के संकाय की भर्ती करे। निदेशक का कार्यालय केन्द्र में स्थित होना चाहिए।

3. प्रत्येक केन्द्र के कार्यक्रम के निर्माण, निष्पादन और समन्वय के लिए एक अंतर–विषयी सलाहकार समिति होनी चाहिए। कुलपति, केन्द्र के निदेशक के परामर्श से, जो समिति का समन्वयक हो सकता है, एक सलाहकार समिति का गठन करेगा।

समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

एक. कुलपति

दो. प्रति–कुलपति

तीन. केन्द्र का निदेशक

चार. तीन वरिष्ठ अध्यापक जिनमें प्रोफेसर को प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें सामाजिक विज्ञान, मानविकी और विज्ञान के एक–एक प्रोफेसर शामिल हैं।

पांच. वि0अ0आ0 द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ। (इन विशेषज्ञों के यात्रा पर खर्च आकस्मिक अनुदान में से किया जाएगा)

छह. सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में एक बार होनी चाहिए और तद्नुसार वि0अ0आ0 को सूचित किया जाए।

4. यद्यपि ऐतिहासिक और सैद्धांतिक अध्ययन महत्वपूर्ण हैं, समकालीन मुद्दों के अध्ययन और अनुसंधान पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इन केन्द्रों में अध्ययन के परिणाम विदेशी मामलों, रक्षा और संस्कृति तथा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में उपयोगी होंगे। क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र और भारत सरकार के संगत मंत्रालय के बीच नजदीकी संबंध होना चाहिए

5. जहां तक संभव हो, कार्यक्रम बहु–विषयी स्वरूप के हों और भाषा शिक्षण को केन्द्र के शैक्षिक कार्यक्रम से संबद्ध किया जान चाहिए।

6. अध्ययन में पाठ्यक्रम और परियोजना, दोनों कार्य शामिल होने चाहिए। केन्द्र छात्र को मूल विषय में डिग्री प्रदान करे जो उसे मूल विषय में शिक्षण का पात्र बनाए। जहां कहीं व्यवहार्य हो, विश्वविद्यालय केन्द्र की पहल पर क्षेत्रीय अध्ययनों में उपयुक्त डिग्रियां शुरू करें। पाठ्यक्रम कार्य में संबंधित क्षेत्र के कम से कम एक गैर–भारतीय भाषा की पढ़ाई शामिल हो।

7. संकाय बहु–विषयी होना चाहिए।

8. एक चयनित आधार पर गहन प्रकृति के विशेष नवोन्मेषी कार्यक्रम तैयार किए जाएं और उन्हें पाठ्यक्रम अध्ययन और अनुसंधान दोनों में शामिल किया जाए।

9. प्रत्येक क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के पास स्वयं की लाइब्रेरी हो जो विश्वविद्यालय में केन्द्रीय लाइब्रेरी प्रणाली का एक भाग हो।

10. क्षेत्रीय अध्ययन का प्रलेखन अधिकारी मुख्य रूप से सामग्री को सूचीबद्ध करने और स्कॉलरों को लाइब्रेरी सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

11. क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत पदों को विश्वविद्यालय में समतुल्य पदों की तरह ही भरा जाए।

12. चूंकि एक क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र के अनुसंधान केन्द्र के अनुसंधान कार्यक्रमों से संबद्ध क्षेत्रीय दौरे कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। इस प्रयोजनार्थ अनुपस्थिति को 'ऑन ड्यूटी' माना जाए। नौजवान स्कॉलरों को क्षेत्रीय दौरों पर जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। क्षेत्रीय दौरे की अवधि न्यूनतम एक सप्ताह और अधिकतम अवधि 60 दिन हो। दौरा अवधि संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र तक सीमित होनी चाहिए।

13. एक क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र में कार्यरत स्कॉलर को अध्ययन क्षेत्र की वास्तविक कार्यपरक जानकारी होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो संगत भाषा में स्कॉलरों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं।

14. यहां इसके बाद एक क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र अपने अध्ययन और अनुसंधान में न केवल इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, विधि, भूगोल, समाज विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय और संबंधित देशों की सुरक्षा को शामिल करें अपितु विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, समाज, धर्म तथा दर्शन शास्त्र को भी शामिल करें। महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें वर्तमान से संबद्ध होना चाहिए तथा संगत भी होना चाहिए।

15. नेट परीक्षा में क्षेत्र अध्ययन को विषय के रूप में चयन करने वाले स्कॉलरों के लिए नौकरी के अवसर को बढ़ाने के लिए, उन्हें इसी विषय में निष्णांत उपाधि प्राप्त भी समझा जाना चाहिए।

16. संबंधित क्षेत्रों तथा देशों की संगत भाषा तथा संस्कृति का अध्ययन क्षेत्र अध्ययन केन्द्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। केन्द्र को वि0अ0आ0 के सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत केन्द्र के लिए भाषा के शिक्षक/शिक्षकों को नियुक्त करने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए।

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली–110002

(वि0अ0आ0 क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम)

प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्ररूप

भाग–क : मूल प्रस्तावक

1. (i) मूल प्रस्तावक/प्रस्तावकों का नाम (प्रस्तावक बृहद रुचि के विषय के साथ एक मुख्य समूह होना चाहिए) .....

   (ii) पदनाम .....

   (iii) पता .....

   (iv) दूरभाष नं. .....

   फैक्स नं. .....

   (v) इमेल पता .....

2. विशेषज्ञता का क्षेत्र (एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र/डायसपोरा समूह/भाषायी/धर्म)

3. भाषाएं जो आप जानते हैं (उनमें सक्षमता का स्तर).....

4. प्रस्तावक की अनुसंधान पृष्ठभूमि

5. प्रस्तावक द्वारा पुस्तकों, पत्रों तथा अन्य अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन (संकाय सदस्यों, अनुसंधान अध्येताओं तथा छात्रों के सभी संगत प्रकाशनों का ब्यौरा दें) ...

   .....

भाग–खः प्रस्तावक विश्वविद्यालय/संस्थान

1. (i) विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम जहां केन्द्र स्थापित किया जाएगा .....

2. क्या विश्वविद्यालय/संस्थान वि0अ0आ0 अधिनियम की धारा 2(च) और धारा 12(ख) के तहत अनुमोदित है .....हां/नहीं

3. क्या विश्वविद्यालय का कोई मौजूदा क्षेत्र अध्ययन केन्द्र है या कोई अन्य निकाय है जो प्रस्तावित अध्ययन के क्रियाकलाप कर रहा हो। यदि हां, तो ब्यौरा दें..... .....

4. केन्द्र का प्रस्तावित नाम .....

5. पृष्ठभूमि (कृपया उपलब्ध शिक्षण/अनुसंधान का ब्यौरा दें अर्थात् भवन, उपस्कर, पुस्तकालय, पुस्तकें तथा जर्नल, कम्प्यूटर आदि)

(i) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान स्तर पर संगत विषयों में शिक्षण पाठ्यक्रम .....

(ii) संगत विषयों पर एम.ए./एम.फिल./पी.एच.डी. सहित किए गए अनुसंधान (इनके विषयों सहित प्रदान की गई उपाधियों का उल्लेख करें) .....

(iii) पिछले पांच वर्षों के दौरान संगत विषयों पर आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/विशेष लेक्चर (कृपया ब्यौरा दें) .....

(iv) क्षेत्र जो कि अध्ययन का विषय है, की भाषा में उपलब्ध विशेषज्ञता ....

(v) अन्य संगत संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तथा सहयोग .....

भाग–ग : प्रस्तावक विश्वविद्यालय/संस्थान

1. केन्द्र का विजन

2. उद्देश्य तथा लक्ष्य

3. वे क्षेत्र जिन पर बल दिया जाएगा

(क) अध्ययन के प्रस्तावित क्षेत्र में देश/क्षेत्र

(ख) अध्ययन का उद्देश्य (उदाहरण के लिए भू–राजनैतिक, इतिहास, व्यापार, धर्म, संस्कृति, भाषा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी) .....

4. आपके संस्थान/विश्वविद्यालय/क्षेत्र में इस प्रकार के केन्द्र की स्थापना का औचित्य

5. विषयों की संरचना : (चूंकि क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम का बहुविषयी परिप्रेक्ष्य है–विषय का उल्लेख करें जिसे निरूपित किया जाना है, उदाहरण के लिए राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भाषाएं आदि).....

6. दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार केन्द्र की आवश्यकताए ।

कुल सचिव के हस्ताक्षर ; प्रस्तावक के हस्ताक्षर

संलग्नक–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली–110002

(क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम)

व्यय की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा

1. केन्द्र का नाम :
2. व्यय की अवधि :
3. वि0अ0आ0 का संस्वीकृति पत्र सं0 तथा दिनांक :

मद का नाम	कुल अनुमोदित अनुदान	प्राप्त कुल अनुदान	किया गया वास्तविक व्यय (वर्ष वार)	अनुमानित व्यय	व्यय नहीं किया गया शेष	टिप्पणियां

कुल सचिव के हस्ताक्षर/एफए

निदेशक/प्रभारी के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली–110002

(क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम)

उपयोग प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वि0अ0आ0 द्वारा इसके दिनांक ..... के पत्रांक सं. ..... के माध्यम से .....के लिए .... की योजना के तहत कुल .....रुपये (रुपये .....) की अनुदान राशि का उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा इसका आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो आपत्तिजनक राशि के प्रतिदाय समायोजन या उसे विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

कुल सचिव के हस्ताक्षर व मुहर	**सरकारी लेखापरीक्षक/ सनदी लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर**	**वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर**

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली–110002

(क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम)

केन्द्र द्वारा किए गए कार्य की आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

1. केन्द्र का नाम :
2. पता :
3. रिपोर्टों की अवधि .....से .....तक
4. निर्धारित किए गए उद्देश्य
5. प्राप्त किए गए उद्देश्य
6. किए गए कार्य तथा प्राप्त किए गए परिणामों का संक्षिप्त सारांश
7. केन्द्र द्वारा आयोजित की गई संगोष्ठियां/विचार–गोष्ठियां/सम्मेलन (ब्यौरा दें) एंव की गई सिफारिशें तथा प्रस्तावित अनुवर्ती कार्यवाही :
8. आरंभ किए गए पाठ्यक्रम, यदि कोई हो तो :
9. केन्द्र के प्रकाशनों की संख्या :
10. प्रदान की गई एम.फिल./पी.एच.डी. उपाधियां, यदि कोई हो तो :
11. संकाय सदस्यों/अनुसंधान स्कॉलरों द्वारा किए गए क्षेत्रों के दौरे (ब्यौरा दें):
12. कोई अन्य संगत सूचना :

कुल सचिव के हस्ताक्षर (मुहर) **केन्द्र के निदेशक/प्रभारी के हस्ताक्षर**